

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
40/21	212 RTA	मिशौपुरा	
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
शशिबाला	बनाम	2021/121	

वकील :- राधिका कुमर लेनी      आदेश पत्रक      वकील :-

दिनांक      कार्यवाही एवं आदेश      विविध संदर्भ

28/21

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 6/9/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बारां (राज.)

6/9/21

पत्रावली पेश हुई। कुमर परीक्षण उपस्थित। प्रतिवादीगण 1 ता 15, 18 एवं 21 ता 27 व 31 से 38 तक व 41 व 42 शामिल सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी 2 ता 4 की ओर से अणु हसीब एडवो. 5 ता 7 की ओर से भगवान कलरिया द्वारा अणु टैकिंग, प्रतिवादी 27 की ओर से रामकरण शर्मा एडवो. भा कमालत नामा एवं प्रतिवादी 31 की ओर से श्री दौलतराम एडवो. भा कमालत नामा एवं प्रतिवादी 32 ता 38 की ओर से श्री भजय श्री वास्तव एडवो. भा कमालत नामा पेश हुआ जो शांति मि विभा गण प्रतिवादी 8 ता 15, 18, 21 ता 26 नवजुद खाना के अनुपस्थित इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है प्रतिवादीगण 16, 17, 19, 20, 28, 29, व 30 अलग तामील सम्मन प्राप्त। पुनः तलबो हेतु तलबो पेश करे। वास्तु तलबो। जकार पत्रावली दिनांक 22/9/21 को पेश हो।

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

23.7.25

पत्रावली पेडा डई। ककुलाल फरीकन उपर। ककीठ  
पुर्वा प्रकरण को आगे गरी पत्रावली चालते है।  
प्रकरण के Not press करना चालते है। प्रकरण  
Not press के खारिज बिना चाला है। पत्रावली  
के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत है।

Not Press  
दि